न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लोहावट, जिला फलोदी।

अपीलाण्ट...

ब

ना

म

01. पूनाराम पुत्र श्री गोमदराम,
02. पन्नाराम पुत्र श्री गोमदराम,
03. किसनाराम पुत्र श्री प्रभुराम,
    समस्त जातियान -जाट (भाम्भु), निवासीयान् रामदेव नगर, तहसील लोहावट, जिला-फलोदी (राज.)।
04. ग्राम पंचायत लोहावट जाटावास, जरिये सरपंच।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिकी सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लोहावट दिनांक 21 नवंबर 2023 राजस्व वाद संख्या 109/2021 पूनाराम व अन्य बनाम राजस्थान सरकार

------- 0 -------

उपस्थित-

श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता-अपीलाण्ट
श्री रोशनलाल, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या एक से तीन

नि र्ण य

दिनांक : 19 मार्च 2025

अपीलाण्ट ने न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लोहावट द्वारा राजस्व वाद संख्या 109/2021 पूनाराम व अन्य बनाम राजस्थान सरकार में पारित निर्णय एवं डिकी दिनांक 21 नवंबर 2023 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत 21 मार्च 2024 को प्रस्तुत की है।

अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादी/रेस्पोडेंट संख्या एक से तीन ने एक वाद घोषणा खातेदारी का इस आशय का पेश किया कि वादीगण के खातेदारी की भूमि खसरा संख्या-634, रकबा 0.10 बीघा गैर-मुमकिन रास्ता, खसरा संख्या-635 रकबा 0.05. बीघा गैर-मुमकिन रास्ता व खसरा संख्या-636 रकबा 38 बीघा 10 बिस्वा गैर-मुमकिन गोचर सरहद मौजा लोहावट जाटावास, नया राजस्व ग्राम रामदेव नगर, पटवार सर्किल लोहावट जाटावास, तहसील लोहावट में स्थित है। उक्त तीनों खसरान् की कुल रकबा 41 बीघा 08 विस्वा भूमि वादीगण की खातेदारी की भूमि है, जिस पर कब्जा वादीगण का पीढ़ियों से चला आ रहा है तथा मौके पर वादीगण की रहवासीय ढ़ाणी बनी हुई है, जिसमें वे अपने परिवार सहित रहवास करते आ रहे है और आज दिन तक प्रतिवर्ष काश्त कर प्राकृतिक पैदावार का उपयोग-उपभोग करते आ रहे है। उक्त 41 बीघा 08 बिस्वा भूमि सैटलमेन्ट से पूर्व जोधपुर रियासत काल में खसरा संख्या-721 व 720 थी, जो खसरा संख्या-721 रकबा 41 बीघा 08 बिस्वा व खसरा संख्या-720 रकबा 0.05 बिस्वा जोधपुर रियासत के राजस्व रिकर्ड जमाबन्दी संवत् 1999 और संवत् 2008 से 2009 में वादीगण के दादा जी खेमा बेटा माना, कौम जाट (भाम्भू) के नाम से दर्ज थी, जिस पर खेमा की पीढ़ियों का खेमा के जीवनकाल से कब्जा चला आ रहा है। वक्त सैटलमेन्ट संवत् 2012 में वादीगण के दादाजी फौत हो चुके थे तथा वादीगण के पिताजी भी फौत हो गये थे। वादीगण अल्प आयु, अनपढ़ व अनभिज्ञ होने के कारण उपरोक्त वर्णित भूमि सैटलमेन्ट अधिकारियों द्वारा वक्त सैटलमेन्ट ग्राम रामदेव नगर के खसरा संख्या-634, रकबा 0.10 बिस्वा भूमि वादीगण के नाम खातेदारी में दर्ज कर दी गई, लेकिन खसरा संख्या-635 रकबा 0.05 बिस्वा तथा खसरा संख्या-636 रकबा-38 बीघा 10 बिस्वा अर्थात् कुल रकबा-38 बीघा 15 बिस्वा भूमि सैटलमेन्ट अधिकारियों द्वारा वक्त सैटलमेन्ट वादीगण के नाम खातेदारी में दर्ज न कर राजस्व रिकॉर्ड में धावड़ (गौचर) दर्ज कर दी गई तथा वर्तमान जमाबन्दी में

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

उपरोक्त वर्णित खसरान की भूमि ग्राम पंचायत के अधीन गैर-मुमकिन गौचर दर्ज है, जो कि सरासर गलत है। उक्त भूमि गौचर जमीन नहीं है, और न ही गौचर के रूप में कभी उपयोग में ली गई है। उक्त भूमि बंदोबस्त विभाग के रिकॉर्ड में भी गौचर नहीं रही है। वादीगण ने उपरोक्त वर्णित खसरान् की भूमि को अपने नाम से खातेदारी में दर्ज करवाने हेतु राजस्व अधिकारियों एवम् राजस्व कर्मचारियों से कई बार निवेदन किया गया तया उनके द्वारा दिनांक 15.01.2021 को अंतिम बार स्पष्ट रूप से इन्कार करने पर उक्त दावा बाबत् खातेदारी घोषणा का पेश किया। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 21 नवंबर 2023 के जरिये वादीगण का वाद स्वीकार कर लिया गया, जिसके विरुद्ध आलौच्य अपील प्रस्तुत की गई।

बहस सुनी गयी। अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने लिखित बहस में वर्णित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने बिना किसी दस्तावेजी साक्ष्य तथा बिना मौका जांच किये गैर-मुमकिन भूमि के सम्बन्ध में उक्त अपीलाधीन निर्णय एवम् डिक्री पारित किया है। उपरोक्त वर्णित खसरान् की भूमि वक्त सैटलमेन्ट संवत् 2012 में जिस प्रयोजन से उपयोग-उपभोग में ली जा रही थी, उसी अनुसार ही सैटलमेन्ट विभाग द्वारा उक्त भूमि का राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज कर दिया है। चूंकि उपरोक्त वर्णित खसरान् की भूमि वक्त सैटलमेन्ट संवत् 2012 में गोचर भूमि के रूप में उपयोग-उपभोग ली जा रही थी, जिस कारण उपरोक्त वर्णित खसरान् की भूमि को बंदोबस्त विभाग द्वारा राजस्व रिकॉर्ड में गैर-मुमकिन गोचर भूमि के रूप में दर्ज किया गया है। रेस्पोडेन्ट संख्या-01 से 03 ने संवत् 2012 से सन् 2021 तक उपरोक्त वर्णित खसरान् की खातेदारी बावत् किसी भी प्रकार का कोई दावा सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया है तथा न ही रेस्पोडेन्ट संख्या-01 से 03 का उपरोक्त वर्णित खसरान् की भूमि पर कभी कोई कब्जा व काश्त रहा है। वादग्रस्त भूमि वक्त सैटलमेन्ट से गोचर भूमि के रूप में उपयोग-उपभोग में ली जा रही थी तथा वर्तमान में भी

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

उपरोक्त वर्णित खसरान् की भूमि का गोचर भूमि के रूप में ही उपयोग-उपभोग हो रहा है। ग्राम जाटावास के खसरा मिलान में भी खसरा संख्या-721 मि से नये खसरे संख्या 634, 635 व 636 दिये गये है, इससे यह स्पष्ट नहीं होता है कि रेस्पोडेन्ट संख्या-01 ता 03 के पूर्वज खेमा बेटा माना का सैटलमेन्ट से पूर्व जोधपुर रियासत काल से खसरा संख्या-721 मि. पर कब्जा व काश्त रहा हो। मारवाड़ स्टेट की पर्चा खतौनी में भी रेस्पोडेन्ट संख्या-01 से 03 के पूर्वज खेमा बेटा माना का उपरोक्त वर्णित खसरान् की भूमि पर कब्जा-काश्त दर्ज नहीं है। खसरा संख्या-721 मि. से यह भी तय नहीं किया जा सकता कि सैटलमेन्ट से पूर्व मारवाड़ स्टेट के समय खसरा संख्या-721 मि. किस मूल खसरे से बना है तथा मूल खसरा नंबर क्या था तथा उसका क्षेत्रफल कितना था। इस कारण उक्त खसरा संख्या-721 मि का इन्द्राज बंदोबस्त विभाग द्वारा संवत् 2012 में मौके की स्थिति अनुसार विधि अनुसार है। माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय तथा माननीय राजस्व मण्डल द्वारा पारित विभिन्न न्यायिक निर्णयों में प्रतिपादित सिद्धान्त कि बिना किसी दस्तावेजी साक्ष्य के केवल मौखिक साक्ष्य के आधार पर घोषणा की डिक्री जारी नहीं की जा सकती हैं, के विपरीत होने से भी काबिल खारिज है, क्योंकि वादीगण रेस्पोडेन्ट संख्या-01 से 03 ने अपने वाद-पत्र में ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया है, जिससे यह साबित होता हो कि वादीगण रेस्पोडेन्ट्स खसरा संख्या 635 रकबा 0.05 बिस्वा तथा खसरा संख्या-636 रकबा 38 बीघा 10 बिस्वा भूमि की खातेदारी घोषणा करवाने के अधिकारी हैं। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा Nandlal & Ors- Versus Board of Revenue & Ors-] 2000(2) RLW (Raj) 1072 में पारित निम्नांकित निर्णय में प्रतिपादित अभिमत का उल्लेख किया जाना समीचीन है कि- Rajasthan Tenany Act 1955 Sec 15 Acquistion of Khatedari Rights held Tenant has to establish that they were

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

admitted as Tenanat after the commencement of Teancy Act or they had acquired khatedarı rights by operation of Law. रेस्पोडेन्ट संख्या-01 से 03 ने माननीय अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत दावें में किसी भी प्रकार के दस्तावेजी साक्ष्य से यह स्थापित नहीं किया है कि उन्होंने काश्तकारी अधिनियम लागू होने की दिनांक से ही खातेदारी अधिकार अर्जित कर लिये है। इस कारण भी माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री निरस्त किये जाने योग्य है। माननीय अधीनस्य न्यायालय ने मात्र राज्य पक्ष की ओर से प्रस्तुत जवाब के आधार पर उक्त अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित किया गया, जबकि राज्य सरकार की ओर से ऐसा कोई नियम, उप-नियम, नोटिफिकेशन अथवा परिपत्र जारी नहीं किया गया है, जिसके अनुसार सम्बन्धित तहसीलदार अथवा सरपंच को खातेदारी के सम्बन्ध में सहमति प्रदान करने हेतु राज्य पक्ष की ओर से सशक्त किया गया हो, इस कारण भी माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री निरस्त फरमाये जाने योग्य है। खसरा सं 635 गैर-मुमकिन रास्ता तथा खसरा संख्या-636 की भूमि राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार गैर-मुमकिन गौचर दर्ज हैं, लेकिन वादीगण द्वारा गैर-मुमकिन भूमि को हड़प करने की गरज से दावा बाबत् खातेदारी घोषणा माननीय अधीनस्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दिया तथा माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भी इस तथ्य पर गौर फरमाये बगैर ही गैर-मुमकिन भूमि के सम्बन्ध में खातेदारी घोषणा का निर्णय एवम् डिक्री पारित कर दिया गया, जिस कारण भी अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री काबिले निरस्त हैं, क्योंकि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा इस सम्बन्ध में Fateh Khan Vs- State of Raj., 1981 RRD 356 यह अभिमत प्रतिपादित किया गया है कि - Where the Board should have excrcised its power under Section 221 of the Act, The perusal of the impugned order discloses that the land in question was "Gochar land, for which khatedari rights cannot accrue to anybody." The suit was decreed because true facts about the

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

land being Gochar Land, and the proceedings under section 91 of the Land Revenue Act having been initiated by the Tehsildar and the order for ejectment being passed by him, were concealed from the Assistant Collector Hence, the decision of the Assistant Collector declaring the petitioner khatedars of the dispute land was illegal. The conduct of the petitioners in conccalling the true facts in the plaint and the irresponsibility displayed by the Tehsildar in filing a vague written statement was also an important factor which weighed with the Board to excrcise its supervisory jurisdiction. At any rate, the Board had jurisdiction under Section 221 of the Act to set aside the illegal decree of the Assistant Colletor. It is of no significance that the order was passed on a reference made by the Collector. In such circumstances, when the petitioners are guilty of playing fraud on the court suppressing material facts and there has been no failure of justice by the impugned order, they cannot ask us to interfere by a writ of certiorari. The Board's order is just and proper. *माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित उपरोक्त वर्णित निर्णय के अतिरिक्त के अलावा माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर द्वारा भी यह अभिमत प्रतिपादित किया गया है कि गौचर भूमि के सम्बन्ध में खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते है, जिसके सम्बन्ध में माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर द्वारा* State of Raj. Versus Gopal & Ors. 2006(1) RLW (RJ) 557 *में धारित किया है कि* Rajasthan Tenancy Act. 1955, Secs 15, 16, 19, 232 Reference power of the Board to enterain Gair Mumkin Gochar Land Held Khatedari cannot be granted on Gochar Land as per provisions of Secs- 16 of the Act. *वादीगण/रेस्पोडेन्ट संख्या-01 ता 03 ने बिना किसी दस्तावेजी साक्ष्य गौचर भूमि की खातेदारी प्राप्त कर उसे उंची कीमतों पर आगे बेचान करने की गरज से माननीय अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उक्त दावा बाबत् खातेदारी घोषणा प्रस्तुत किया था, जिस कारण यह कहा जा सकता है कि, वादीगण/रेस्पोडेन्ट संख्या-01 से तीन ईमानदारी पूर्वक तथा स्वच्छ हाथों से माननीय न्यायालय के समक्ष नहीं आये है। ऐसे*

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

गैर-ईमानदार पक्षकार द्वारा अपने पक्ष में पारित करवाये गये किसी भी प्रकार के आदेश, निर्णय, डिक्री को प्रारम्भतः शून्य मानते हुए, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने इस सम्बन्ध में D.B. Spl Appl. 2005 Lrs of Punna Ram Versus State of Raj &c Ors. स्पष्ट रूप से मत प्रतिपादित किया है कि Para 13- As laid down by the Hon'ble Supreme Court in the matter of S.P. Chengalvaraya Naidu's case (supra), the principle of "finality of litigation" cannot be pressed to the extent of such an absurdity that it becomes an engine of fraud in the hands of dishonest litigants. The Court observed that a judgment and deceree obtained by playing fraud is nullity and non est in the eyes of law and such decree from the first court or by the highest court has to be treated as nullity by every court whether superior or inferior. Thus, the pull Bench decision of this Court relied upon by the learned counsel does not help the appellants in any manner. माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में तनकीयात कायम किये बगैर तथा बिन्दुवार तनकीयात पर कारण दर्शित करते हुए प्रकरण का गुणावगुण पर निस्तारण नहीं किया है, जबकि व्यवहार प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश-12, नियम-06 के अनुसार प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब दावा स्वीकार कर लेने मात्र से वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद बिना तनकीयात कायम किये तथा उनका गुणावगुण पर विचारण किये, वाद को डिक्री नहीं किया जा सकता है, लेकिन माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने उपरोक्त के सम्बन्ध में घोर कानूनी एवं वाक्याती भूल कारित की है, जिस कारण भी माननीय अधीनस्य न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री काबिले निरस्त है।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम पर अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि रेस्पोडेंट्स द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की प्रति अपीलांट के कार्यालय में प्रस्तुत नहीं की गई थी। इस कारण अपीलांट को अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की जानकारी समय पर नहीं हो सकी। अपीलांट को दिनांक 05.03.2024 को अपीलाधीन निर्णय एवं

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

डिक्री की जानकारी होते ही माननीय विचारण न्यायालय से अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की प्रमाणित प्रति प्राप्त कर जानकारी से अंदर म्याद हस्तगत अपील प्रस्तुत की है। अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील प्रस्तुत करने में जानबूझकर कोई देरी नहीं की गई है।

अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम स्वीकार फरमाया जावे एवं अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाकर स्वीकार फरमायी जावे तथा अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 21 नवंबर 2023 को निरस्त किया जावे

जबाब में रेस्पोडेंट संख्या एक से तीन के अधिवक्ता ने अपीलांट के अधिवक्ता के कथनों का विरोध करते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी संवतः 1999 में पेमो बेटो मानारो जातरो जाट(भांबु) वासी गांवरों के नाम से दर्ज रहीं है। सेटलमेंट कर्मचारियों की भूल से वादग्रस्त आराजी की किस्म गौचर दर्ज कर दी गई थी। रेस्पोडेंट संख्या एक से तीन का वर्तमान में वादग्रस्त आराजी पर कब्जा काश्त है। विचारण न्यायालय के समक्ष अपीलांट की ओर से वादीगण के वाद को स्वीकार किया गया है। इस कारण मामले में तनकीयात कायमी की आवश्यकता ही महसूस नहीं हुई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए विधिसम्मत निर्णय एवं डिक्री पारित किया गया है। वक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री अपीलांट/राजकीय पैरोकार तहसीलदार लोहावट विचारण न्यायालय के समक्ष हाजिर रहे है। इस कारण अपीलांट को अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की जानकारी शुरुआत से ही रही है। अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुति में हुए विलंब को किसी भी सूरत में माफ नहीं किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील म्याद बाधित एवं गुणावगुण पर सारहीन होने से खारिज फरमायी जावें।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरता पूर्वक अध्ययन किया गया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में ससम्मान गहन परिशीलन किया गया। सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम का निस्तारण किया जाना उचित समझते है। मामले के गुणावगुण पर निस्तारण हेतु प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों के आलोक में म्याद के बिंदु पर नरम रूख अपनाते हुए न्याय हित में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाती है।

मामले के गुणावगुण पर अवलोकन से प्रकट होता है कि वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 635 रकबा 0.05 बीघा, खसरा नंबर 636 रकबा 38.10 बीघा मौजा लोहावट जाटावास वर्तमान राजस्व ग्राम रामदेवनगर वक्त सेटलमेंट से ही राजस्व रेकर्ड में धावड़(गौचर) रही है। वक्त बंदोबस्त सेटलमेंट विभाग द्वारा तत्समय भूमियों के उपयोग के आधार पर उनकी किस्म का निर्धारण करते हुए राजस्व रेकर्ड में उसी अनुसार इन्द्राज किये गये है। वादग्रस्त आराजीयात का भी तत्सयम गौचर के रूप में उपयोग होने से भू-प्रबंध विभाग द्वारा जारी प्रथम खतौनी बंदोबस्त में वादग्रस्त आराजी की किस्म गौचर दर्ज की जाकर ग्राम पंचायत लोहावट जाटावास के नाम से राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया जाना पाया जाता है जो विचारण न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध प्रथम जमाबंदी प्रदर्श ई.एक्स.पी.-8 से प्रमाणित है। रेस्पोडेंट्स द्वारा वादग्रस्त आराजी सेटलमेंट से पूर्व अपने दादा खेमा बेटा माना के नाम दर्ज रहने के आधार पर गौचर भूमि के संबंध में खातेदारी घोषणा का वाद प्रस्तुत किया गया है। वादीगण की ओर से वादग्रस्त आराजी पर सवतः 1999 से वर्तमान समय तक कब्जा काश्त होने के संबंध में किसी प्रकार के राजस्व अभिलेख यथा गिरदावरी, लगान रसीद, इत्यादि प्रस्तुत नहीं किये है तथा न ही वादग्रस्त आराजी पर वादीगण का कब्जा काश्त होने की स्थिति में अपीलांट/तहसीलदार लोहावट द्वारा वादीगण के विरुद्ध बेदखली की कार्यवाही किये जाने के

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

साक्ष्य पेश किये गये है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा आर. एल.डब्ल्यू.(राज.) 1072 में धारित किया है कि काश्तकार को यह सिद्ध करना होगा कि उसे काश्तकारी अधिनियम 1955 लागू होने के बाद में काश्तकार स्वीकार किया गया है अथवा उसने उक्त कानून के प्रभाव से खातेदारी अधिकारी अर्जित किये हो। हस्तगत मामले में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने से पश्चात वादग्रस्त आराजी की किस्म गैर मुमकिन गौचर दर्ज रहीं है तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने के पश्चात वादग्रस्त आराजीयात के संबंध में खातेदारी अधिकारों बाबत रेस्पोडेंट्स द्वारा किसी प्रकार का दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। यह भी उल्लेखनीय है कि वादीगण द्वारा वाद करण का भी सद्भाविक एवं संतोषजनकर कारण नहीं बतलाया गया है तथा वादीगण द्वार आज दिनांक तक किये गये प्रयासों के संबंध में भी किसी प्रकार के दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये है। उनके द्वारा इतनी लंबी अवधि पश्चात वाद प्रस्तुत करने का सद्भाविक कारण नहीं पाया जाता है।

विचारण न्यायालय द्वारा अघतन राजस्व रेकर्ड एवं वादग्रस्त आराजीयात की किस्म को नजरअंदाज करते हुए तहसीलदार लोहावट के सहमति के जवाबदावा एवं सरपंच ग्राम पंचायत लोहावट जाटावास के प्रमाण पत्र(प्रदर्श-ई.एक्स.पी.-17) आधार पर वादीगण का वाद डिक्री किया जाना पाया जाता है। 1981 आर.आर.डी. 356 में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा यह मत प्रतिपादित किया गया है कि **गौचर भूमि के संबंध में किसी पकार के खातेदारी अधिकार नहीं मिल सकते है** तथा तहसीलदार द्वारा अस्पष्ट लिखित जवाब दायर करना उसका राजकीय दायित्व के प्रति गैर जिम्मेदाराना रवैया है। हस्तगत मामले में भी तहसीलदार लोहावट द्वारा सहमति का जवाबदावा प्रस्तुत कर वादीगण के वाद को स्वीकार किये जाने में अपनी सहमति प्रदान की है। कानूनन तहसीलदार एवं सरपंच को राजस्व रेकर्ड से परे जाकर राजकीय गैर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

मुमकिन किस्म की भूमि के संबंध में तृतीय व्यक्ति को खातेदारी प्रदान किये जाने की सहमति प्रदान करने का कानूनन अधिकार नहीं है।

यह भी उल्लेखनीय है कि विचारण न्यायालय द्वारा मामले में वाद विचारण की प्रक्रिया के तहत वाद-पत्र एवं जवाब के आधार पर तनकीयात कायम किये बिना तथा उन पर अपना निष्कर्ष पारित किये बिना अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित किया जाना पाया जाता है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री विधिक प्रावधानों एवं न्यायिक प्रक्रिया के विपरीत पाये जाने से विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री अदालत हाजा की राय में समर्थन योग्य नहीं ठहरते है।

वस्तुतः उपरोक्त ऑब्जर्वेशन के आलोक में अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाती है और अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लोहावट द्वारा राजस्व वाद संख्या 109/2021 पूनाराम व अन्य बनाम राजस्थान सरकार में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 21 नवंबर 2023 अपास्त किये जाते है। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

डिकी बसीगे अपील

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

बइजलास श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

223RTA2024-93Ju2024-47 State of Rajasthan Vs Punaram etc

अपीलाण्ट		रेस्पोडेण्ट
राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लोहावट, जिला फलोदी।	**ब ना म**	01. पूनाराम पुत्र श्री गोमदराम, 02. पन्नाराम पुत्र श्री गोमदराम, 03. किसनाराम पुत्र श्री प्रभुराम, समस्त जातियान -जाट (भाम्भु), निवासीयान् रामदेव नगर, तहसील लोहावट, जिला-फलोदी (राज.)। 04. ग्राम पंचायत लोहावट जाटावास, जरिये सरपंच।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिकी सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लोहावट दिनांक 21 नवंबर 2023 राजस्व वाद संख्या 109/2021 पूनाराम व अन्य बनाम राजस्थान सरकार

------- 0 -------

यह अपील बतारीख 19 मार्च 2025 बहाजरी अधिवक्ता श्री दयाराम चौधरी मिनजानिब अपीलाण्ट, श्री रोशनलाल, अधिवक्ता रेस्पो. उपस्थित होकर हुक्म हुआ कि उपरोक्त ऑब्जर्वेशन के आलोक में अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाती है और अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लोहावट द्वारा राजस्व वाद संख्या 109/2021 पूनाराम व अन्य बनाम राजस्थान सरकार में पारित निर्णय एवं डिकी दिनांक 21 नवंबर 2023 अपास्त किये जाते है। खर्चा पक्षकारान् वहन करे।

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुबलिग ---00---) रूपये ------00-------- अदा करें। खर्चा मुकदमा मातहत का ----00------ अदा करें।

वसब्त मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत हाजा तारीख 19 मार्च 2025 को जारी किया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

खर्चा अपील

अपीलाण्ट	राशि	रेस्पोडेण्ट	राशि
1. स्टाम्प अपील 2. स्टाम्प वकालतनाम	/	1. स्टाम्प वकलातनामा 2. स्टाम्प अर्जी	/

3. इजराय हुक्मनामा 4. वकील फीस वाबत मीजान		3. इजराम हुक्मनामा 4. मेहनताना वकील मीजान	

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर